

# कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 348/2026

## प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 04.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक- 04.09.2026

थाना सिधारी, जनपद- आजमगढ़

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार

थाना सिधारी पुलिस द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी को किया गया गिरफ्तार

**पूर्व की घटना/ इतिहास-** दिनांक 03.09.2026 को थाना सिधारी पर वादिनी द्वारा तहरीर दी गई कि आरोपी अच्छेलाल पुत्र मुन्नालाल डोम निवासी बड़ादेव मातवरगंज, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया तथा वादिनी के साथ मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी गई। के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 372/2026, धारा 65(1)/115(2)/351(3) बीएनएस एवं 3/4(2)/5N/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

**गिरफ्तारी का विवरण-** दिनांक 04.09.2026 को प्रभारी निरीक्षक थाना सिधारी श्री विनय कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित आरोपी अच्छेलाल पुत्र मुन्नालाल डोम निवासी बड़ादेव मातवरगंज, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष को समय करीब 11:10 बजे नरौली स्थित किराये के मकान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी को आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—** श्री विनय कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक, का0 त्रिवेणी शाह, का0 मनोज मिश्रा, रि0का0 साहिल खां, म0का0 सोनी गुप्ता, थाना सिधारी, आजमगढ़।

